कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001
email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2656355-7 Fax 021-2612086

क्रमांक / टीसीबी / 2016 / 155 to 187 दिनांक :: 14 मार्च, 2016

बैठक कार्यवाही विवरण

जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की बैठक दिनांक 11 मार्च, 2016 को प्रातः 10.00 बजे (डॉ0) जोगा राम, आई.ए.एस., जोधपुर विकास आयुक्त एवं अध्यक्ष, जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षता में प्राधिकरण स्थित कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि

जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की गत बैठक दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 का कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हुआ। बैठक में गत बैठक में लिये गये निम्नलिखित निर्देशों के साथ बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से गत बैठक दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि करने का निर्णय लिया गयाः–

1– वाहनों की गति सीमा निर्धारित करने हेतु अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त–यातायात के संयोजन में कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया। इस कमेटी में सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर निगम, जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं सार्वजनिक निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशाषी अभियन्ता सदस्य होंगे। उक्त कमेटी वाहनों की गति सीमा एवं विभिन्न डिवाईडरों पर रोड़ कट्स लगाने एवं रोड़ कट्स बन्द करने के संबंध में अपनी रिपोर्ट जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगी। जिस पर बोर्ड द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया जावेगा।

2– बिना अनुमति रोड़ कटिंग के संबंध में सभी संबंधित विभागों की बैठक आयोजित की जावे।

3– रोड लाईट सिग्नल का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सम्पादित करवाया जावे।

4– जालोरीगेट चौराहे का कार्य त्वरित गति से पूरा करवाया जावे। इस हेतु निदेशक–अभियांत्रिकी संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को उपायुक्त–यातायात से सम्पर्क कर इस संबंध में कार्यवाही करने हेतु निर्देश प्रदान करेंगे।

5– पैच मरम्मत का कार्य संबंधित विभागों द्वारा आगामी 10 दिवस में त्वरित गति से पूर्ण करवाया जावे।

6– निजी भवन मालिकों द्वारा मकान तोडकर मलबा मुख्य सडकों पर डालते हैं। इसे रोकने हेतु नगर निगम प्रभावी कार्यवाही करें।

7– नगर निगम, जोधपुर के अनुबंधित वाहन (विशेषकर कचरा वाहन) यथा संभव नई सडक, जालोरीगेट, हाईकोर्ट आदि सडकों पर नहीं चलाये जावे।

प्रस्ताव संख्या 2 :: यातायात संकेत बोर्ड लगवाने व पार्किंग लाईनिंग के संबंध में।

यातायात संकेत बोर्ड लगवाने के संबंध में पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात ने अपने पत्र कमांक य–2 ( ) जोध./ पु. उपा. याता./2015/ 2850 दिनांक 12 मई, 2015 एवं पत्र कमांक य–2 ( ) जोध./ पु.उपा. याता./ 2015/ 2850 दिनांक 12 मई, 2015 द्वारा पत्र प्रस्तुत किया है। जो परिशिष्ट–ए पर संलग्न है।

बैठक में उक्त दोनों पत्रों के संबंध में विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से विभागवार पत्र में वर्णित अनुसार यातायात संकेत लगाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: डॉ. सुभाष पुरोहित, एडवोकेट आई0सी0ए0डी0आर0 के पत्र के संबंध में।

डॉ0 सुभाष पुरोहित, एडवोकेट, सदस्य आई0सी0ए0डी0आर0 के पत्र कमांक एफ/ सामान्य/ 16/ नगर निगम/ 48–50 दिनांक 12 जनवरी, 2016 के कम में जोधपुर शहर में यातायात व्यवस्था सुगम बनाने के लिए सिवांचीगेट से शनिश्चरजी का थान मंदिर जाने वाली रोड पर मंदिर के सामने ट्रॉफिक प्वाईन्ट के पास अतिकमण कर बिल्डिंग लाईन से बाहर आयी चबूतरी को हटाकर जनता को राहत दिलाने व सिवांचीगेट से न्यू चांदपोल रोड पर सडक के बीच आये बिजली व टेलीफोन के खम्भे हटाकर अतिकमण रोकने के कम में प्राप्त पत्र बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत क्षेत्र नगर निगम, जोधपुर के क्षेत्राधिकार में आता है। अतः नगर निगम के अधिकारी पुलिस प्रशासन के साथ बैठक कर उपरोक्तानुसार अतिकमण, बिजली व टेलीफोन के खम्भे हटाने की कार्यवाही करें।

प्रस्ताव संख्या 4 :: श्री महेश मेहता, सचिव, बख्तसागर (नेहरू पार्क) नागरिक मण्डल के पत्र के संबंध में।

श्री महेश मेहता, सचिव, बख्तसागर (नेहरू पार्क) नागरिक मण्डल ने पत्र में वर्णित किया है कि नेहरू पार्क के पास मोड पर तिराहा है। उक्त तिराहा से मथुरादास माथुर अस्पताल व इण्डस्ट्रीयल एरिया से जुडा होने के कारण प्रतिदिन हजारों गाडियां इस तिराहा से निकलती है। परन्तु यह तिराहा इतने भारी ट्राफिक के लिए सुव्यवस्थित नहीं है जिसके कारण कई दुर्घटनाएं होती रहती है। जिसमें से एक दुर्घटना 28 जनवरी, 2016 को श्री रमन धारीवाल पुत्र जोहरीमल धारीवाल (व्यवसायी) की मृत्यु हो गयी थी। ट्राफिक के हिसाब से सुरक्षित व सुव्यवस्थित बनाने हेतु तिराहा के तीनों तरफ 50 फीट तक डिवाईडर बनाया जावे और बीच में एक गुमटी की व्यवस्था की जावे। डॉ. मदन डागा रोड पर बीचो–बीच एक बिजली का पोल लगाया हुआ है। जिसे हटवाकर रोड के किनारे करवाने की व्यवस्था करावें।

बैठक में श्री मेहता के पत्र के संबंध में विचार विमर्श किया गया। बैठक में उपायुक्त–यातायात पुलिस द्वारा अवगत कराया गया कि इस क्षेत्र में वहां के निवासियों द्वारा लगभग 30 – 30 फीट सडक के मार्गाधिकार में चबूतरियां आदि बनाकर अतिकमण कर रखा है। जिसे नगर निगम द्वारा हटवाया जावे तत्पश्चात् ही डिवाईडर के संबंध में निर्णय लिया जाना उचित होगा। बैठक में विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि नगर निगम के अधिकारी पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर इस संबंध में निर्णय लेंगे। इसी प्रकार सडक के बीचों–बीच बिजली के खम्भे को हटाने की कार्यवाही जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: कार्यालय पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर के

पत्र कमांक य–2 ( ) जोध./ पु.उपा.याता./2016/ 1687–88 दिनांक 22 फरवरी, 2016 के संबंध में।

बैठक में जोधपुर शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार हेतु कार्य करवाने एवं जालोरीगेट चौराहा पर सुगम यातायात व्यवस्था के सबंध में कार्यालय पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर को पत्र कमांक य–2 ( ) जोध./ पु.उपा.याता./2016/ 1687–88 दिनांक 22 फरवरी, 2016 (परिशिष्ट–बी) विचार विमर्श हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि पत्र के कम में प्राधिकरण के अधिशाषी अभियन्ता एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियन्ता पुलिस प्रशासन से समन्वय स्थापित कर जालोरीगेट चौराहे पर सुगम यातायात व्यवस्था के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

प्रस्ताव संख्या 6 :: कार्यालय पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर के पत्र कमांक य 2 ( ) जोध/ पु.उपा./यातायात/ 2015/ 914–915 दिनांक 18 फरवरी, 2015 के संबंध में।

कार्यालय पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर के पत्र दिनांक 18. फरवरी, 2016 द्वारा 5वीं रोड चौराहे पर यातायात की दृष्टि से निम्नलिखित कार्य करवाने हेतु लिखा है:–

1– चौराहे की प्रत्येक रोड पर स्टोप लाईन व जेब्ररा कॉसिंग की लाईनों को पुनः बनवाया जावे।
2– राम भरोसे स्वीट के पास वाली रोड़ पर सिग्नल लाईट का खम्भा लगवाया जावे।
3– सिवांचीगेट से आने वाले रास्ते पर सिग्नल लाईट का खम्भा लगवाया जावे।
4– चौराहे का आकार थोडा छोटा किया जावे।
5– सरदारपुरा से चौराहे की ओर आने वाली रोड पर डिवाईडर लगवाया जावे।

बैठक में इस संबंध में विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से उपरोक्त कार्य करवाने हेतु निर्देशित किया तथा कम संख्या 2 पर वर्णित कार्य के संबंध में प्राधिकरण के अधिशाषी अभियन्ता– विद्युत को उक्त कार्य करवाकर सिग्नल लाईट सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: कार्यालय पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर के पत्र कमांक य 2 ( ) जोध/ पु.उपा./यातायात/ 2015/ 1680 दिनांक 25 मार्च, 2015 के संबंध में।

कार्यालय पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर ने अपने पत्र कमांक य 2 () जोध/ पु.उपा./ यातायात/ 2015 / 1680 दिनांक 25 मार्च, 2015 द्वारा लिखा है कि मण्डोर ओवरब्रिज पर लगी रैलिंग की मरम्मत करवाने/ नई लगवाकर सडक दुर्घटनाओं की रोकथाम की जा सकती है। अतः इस संबंध में विचार विमर्श कर निर्णय लेने हेतु प्रकरण बैठक में प्रस्तुत हुआ।

बैठक में उपस्थित उपायुक्त–यातायात पुलिस ने अवगत कराया कि मण्डोर ओवरब्रिज पर लगी रैलिंग की मरम्मत करवाने के साथ साथ मण्डोर ओवरब्रिज एवं भदवासिया ओवरब्रिज पर मोड पर रिफलेक्टर, सिग्नल एवं रबड स्टीक (स्पीड ब्रेकर) लगवाने अति आवश्यक है। बैठक में विचार विमर्श कर सर्व सम्मति उपायुक्त–यातायात पुलिस के सुझावानुसार उपरोक्त कार्य करवाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 8 :: कार्यालय पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर के पत्र कमांक य 2 ( ) जोध/ पु.उपा./यातायात/ 2015/ 2161– 62 दिनांक 9 अप्रैल, 2015 के संबंध में।

कार्यालय पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर का पत्र कमांक य 2 ( )/जोध/पु.उपा./यातायात/ 2015/ 2161–62 दिनांक 9 अप्रैल, 2015 प्राप्त हुआ। जिसमें उल्लेख किया गया है कि चौपासनी गांव से वस्त्र मंत्रालय तक पक्की सडक बनी है, जो आगे चौखा गांव तक जाती है। इस क्षेत्र में ठेगडी नगर, रामराज नगर सहित कई नई आवासीय कॉलोनियां विकसित होने से भवन निर्माण सामग्री लाने वाले वाहनों के आवागमन के कारण तथा सउक की चौडाई कम होने से आमजन को आवागमन में दुविधा रहती है तथा दुर्घटना घटित होने की संभावना रहती है। अतः सडक दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चौपासनी से चौखा गांव में जाने वाले मार्ग की चौडाई बढ़ाने की व्यवस्था करावें।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त पत्र के क्रम में निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को उक्त सडक मरम्मत करने के निर्देश प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 9 :: कार्यालय पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर के पत्र कमांक य 2 ( ) जोध/ पु.उपा./यातायात/ 2015/ 2956 दिनांक 9 अप्रैल, 2015 के संबंध में।

कार्यालय पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर का पत्र कमांक य 2 ( )/जोध/ पु.उपा./ यातायात/ 2015/ 2956 दिनांक 9 अप्रैल, 2015 प्राप्त हुआ। जिसमें उल्लेख किया गया है कि श्री राजेन्द्र पुरोहित निवासी 16/143 चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर द्वारा सडक दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु स्पीड ब्रैकर बनवाने बाबत व 16 सेक्टर तिराहे चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड पर स्पीड ब्रेकर लगवाने की व्यवस्था करावें।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त पत्र के क्रम में पूर्व में प्रस्ताव संख्या 5 में गठित समिति के माध्यम से पत्र का परीक्षण करवा कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 10 :: कार्यालय पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर के पत्र कमांक य 2 ( ) जोध/ पु.उपा./यातायात/ 2015/ 4216 – 19 दिनांक 6 अगस्त, 2015 एवं पत्र कमांक य 2 ( ) जोध/ पु.उपा./ याता/ 2015/ 4390–93 दिनांक 18 अगस्त, 2015 के संबंध में।

कार्यालय पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर के पत्र कमांक य 2 ( ) जोध/ पु.उपा./यातायात/ 2015/ 4216 – 19 दिनांक 6 अगस्त, 2015 एवं पत्र कमांक य 2 ( ) जोध/ पु.उपा./ याता/ 2015/ 4390–93 दिनांक 18 अगस्त, 2015 प्राप्त हुए। जिसमें शहर की क्षतिग्रस्त हुई सडकों की मरम्मत करवाने बाबत लिखा गया है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त पत्र के कम में संबंधित समस्त विभागों यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, नगर निगम एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण आदि को जल्द से जल्द पैचवर्क कार्य पूर्ण करने के निर्देश प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 11 :: कार्यालय पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर के पत्र कमांक य 2 ( ) जोध/ पु.उपा./यातायात/ 2015/ 4376 दिनांक 14 अगस्त, 2015 के संबंध में।

कार्यालय पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर के पत्र कमांक य 2 ( ) जोध/ पु.उपा./यातायात/ 2015/ 4376 दिनांक 14 अगस्त, 2015 प्राप्त हुआ। जिसमें उल्लेख किया गया है कि सडक डिवाईडर निर्माण करवाने के अन्तर्गत खास बाग चौराहा से रातानाडा की तरफ जाने वाली सडक पर सतीमाता के मंदिर से भाटी भवन के मध्य सडक डिवाईडर नहीं होने से इस सडक पर आये दिन दुर्घटना घटित होती रहती है। पुलिस लाईन के सामने सती माता मंदिर से भाटी भवन के मध्य सडक डिवाईडर का निर्माण अविलम्ब करवाने तथा कोई कट नहीं रहे, का उल्लेख किया है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त पत्र के क्रम में निर्णय लिया गया कि पत्र में वर्णित स्थान पर प्रायोगिक तौर पर 5 दिन तक अस्थाई रूप से बेरिकेटिंग की जावे तथा यदि प्रयोग सफल रहता है तो उपायुक्त–यातायात पुलिस के सुझावानुसार यहां पर सिंगल कर्ब स्टोन का डिवाईडर बनाया जावे।

प्रस्ताव संख्या 12 :: कार्यालय पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर के पत्र कमांक य 2 ( ) जोध/ पु.उपा./यातायात/ 2015/ 6058 दिनांक 1 दिसम्बर, 2015 के संबंध में।

कार्यालय पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर के पत्र कमांक य 2 ( ) जोध/ पु.उपा./यातायात/ 2015/ 6058 दिनांक 1 दिसम्बर, 2015 प्राप्त हुआ। जिसमें उल्लेख किया गया है कि सिटी बस शैल्टर की अनुपयोगिता हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा शहर में संचालित नगरीय परिवहन बसों के ठहराव स्थल एवं यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर शैल्टर्स का निर्माण करवाया गया था, इसी क्रम में महात्मा गांधी अस्पताल के बाहर दीवार के पास सिटीबस शैल्टर का भी निर्माण करवाया गया था जबकि पुरी तिराहा से एम0जी0एच0 रोड होते हुए जालोरीगेट की तरफ किसी भी नगरीय बस का संचालन नहीं हो रहा है, जो वर्तमान में किसी उपयोग का नहीं है जिसके सामने आस–पास के व्यक्तियों द्वारा अपने निजी वाहनों को पार्किंग कर दिया जा रहा है, जो सुचारू यातायात संचालन में बाधक है जिसे हटाने की कार्यवाही करने का उल्लेख किया है।

बैठक में विचार विमर्श के दौरान नगर निगम द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य जे0बी0एस0एल0 पी0पी0पी0 मॉडल पर करवाने की कार्यवाही प्रकियाधीन है। बैठक में बाद विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि उक्त कार्य जोधपुर बस सर्विस लिमिटेड (जे0बी0एस0एल0) द्वारा पूर्व मं ही प्रकियाधीन है। अतः तद्नुसार कार्यवाही की जाए।

प्रस्ताव संख्या 13 :: कार्यालय पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर के पत्र कमांक य 2 ( ) जोध/ पु.उपा./यातायात/ 2015/ 630 दिनांक 20 जनवरी, 2016 के संबंध में।

कार्यालय पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर के पत्र कमांक य 2 ( ) जोध/ पु.उपा./यातायात/ 2015/ 630 दिनांक 20 जनवरी, 2016 प्राप्त हुआ। जिसमें उल्लेख किया गया है कि पावटा चौराहे की यातायात व्यवस्था के संबंध में पावटा चौराहे के समीप होने से इस चौराहे पर यातायात का दबाव अधिक रहता है। पावटा सब्जी मण्डी के सामने स्थित ममता मेडिकल व शिव गौरी ज्यूस की दुकानें सडक सीमा के समीप होने से इनसे यातायात बाधित होता है। इन दुकानों की स्वीकृति जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी

की गयी है। अतः पावटा चौराहे व सब्जी मण्डी की सुचारू यातायात व्यवस्था के लिए उक्त दोनों दुकानों की अनुमति निरस्त करवाने का श्रम करावें, का उल्लेख किया है।

बैठक में बाद विचार विमर्श के दौरान अवगत कराया गया कि उक्त वर्णित क्षैत्र वर्तमान में नगर निगम, जोधपुर के क्षैत्राधिकार में होने से इस संबंध में कार्यवाही नगर निगम, जोधपुर द्वारा की जाएगी। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त वर्णित पत्र के कम में वर्णित कार्य नगर निगम, जोधपुर द्वारा निष्पादित करने हेतु नगर निगम, जोधपुर को निर्देश प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 14 :: कार्यालय पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर के पत्र कमांक य 2 ( ) जोध/ पु.उपा./यातायात/ 2015/ 1687 दिनांक 22 फरवरी, 2016 के संबंध में।

कार्यालय पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर के पत्र कमांक य 2 ( ) जोध/ पु.उपा./यातायात/ 2015/ 1687 दिनांक 22 फरवरी, 2016 (परिशिष्ट–सी) प्राप्त हुआ। जिसमें उल्लेख किया गया है कि जोधपुर शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार हेतु कार्य करवाने के लिए शहर में नये पार्किंग स्थलों का निर्माण करवाया जाना है। यातायात मे बाधक अतिकम हटवाये जाने हैं। विभिन्न यातायात संकेतक लगवाये जाने है। साथ ही शहर में स्पीड ब्रेकर, पार्किंग/जेबरा लाईनिंग करवायी जानी है। शहर में क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत की जानी है। सुचारू यातायात व्यवस्था हेतु कार्यो को प्राथमिकता प्रदान करने का उल्लेख किया है।

बैठक में उक्त पत्र के कम में विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि पार्किंग स्थलों की सूची तेयार की जावे तदनुसार कार्यवाही की जावे। लाईनिंग का कार्य प्राधिकरण द्वारा करवाया जावे। स्थायी रूप से पार्किंग स्थल का चयन कमेटी द्वारा किया जावे तथा कमेटी के निर्णय की पुष्टि आगामी बैठक में करवायी जावे।

प्रस्ताव संख्या 15 :: भदवासिया रोडवेज डिपो के पास बस खडी करने हेतु अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

बैठक में उपस्थित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने अवगत कराया कि मण्डोर रोड कृषि मण्डी चौराहे पर खडी बसों के लिए भदवासिया ओवरब्रिज के नीचे रोडवेज डीपो के पास एक समय में तीन बसे खडी करने हेतु अस्थायी रूप से सवारी लेने हेतु अनुमति दी जानी है ताकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त आदेशों ककी पालना सुनिश्चित की जा सके।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के प्रस्तावानुसार भदवासिया ओवरब्रिज के नीचे रोडवेज डीपो के पास एक समय में तीन बसे खडी करने हेतु अस्थायी रूप से सवारी लेने हेतु अनुमति प्रदान करने हेतु बोर्ड की सहमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की बैठक में संबंधित सदस्य उपस्थित नहीं होकर अपने अधीनस्थ अधिकारी को बैठक में उपस्थित होने हेतु भेज देते है। उक्त अधिकारी संबंधित विभाग की ओर से निर्णय लेने में भी सक्षम नहीं होते है। जिससे बोर्ड की बैठक की उपादेयता पर प्रश्नचिन्ह लगता है। आज भी बैठक में डिस्कॉम, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सदस्य नहीं आकर कनिष्ठ अधिकारियों को भेजा है। जो सर्वथा उचित नहीं है। अतः बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में संबधित सदस्य ही उपस्थित हो यह सुनिश्चित किया जावे। इसके साथ ही

बोर्ड की बैठक प्रत्येक माह के तृतीय गुरूवार को प्रातः 10.00 बजे आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(दुर्गेश कुमार बिस्सा)
सचिव

कमांक/टीसीबी/2016/ 159 to 187 दिनांक :: 14 मार्च, 2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. महापौर महोदय, नगर निगम, जोधपुर
3. अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
4. जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
5. पुलिस उपायुक्त-पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय एवं यातायात/पुलिस अधीक्षक-ग्रामीण, जोधपुर
6. आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जोधपुर
8. महाप्रबन्धक (प्रचालन), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जोधपुर
9. अपर मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
10. अपर मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
11. अपर मुख्य अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
12. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर
13. कमाण्डर 45, सीमा सडक कृतिक बल, जालम विलास, जोधपुर
14. निदेशक-अभियांत्रिक/आयोजना/वित्त/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. उपायुक्त-पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. अधीक्षण अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को कार्यवाही विवरण का अंकन वेब-साईट पर करने तथा संबंधित अधिकारियों को जरिये ई-मेल प्रेषित करने हेतु प्रेषित है।
19. ....

(दुर्गेश कुमार बिस्सा)
सचिव

परिशिष्ट–1

दिनांक 11 मार्च, 2016 को प्रातः 10.00 बजे डॉ. जोगा राम, जोधपुर विकास आयुक्त एवं अध्यक्ष, जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षता में आयोजित जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पदनाम व विभाग
1.	श्री घनश्याम औझा, महापौर, नगर निगम, जोधपुर
2.	श्री विकास शर्मा, उपायुक्त पुलिस (मुख्यालय एवं यातायात) जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर
3.	श्री अर्जुनसिंह राठौड, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर
4.	श्री बुगलाल मीना, अतिरिक्त उपायुक्त (यातायात) पुलिस, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर
5.	श्री प्रेमराज खन्ना, जिला परिवहन अधिकारी, जोधपुर
6.	श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद, अधीक्षण अभियन्ता शहरवृत, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डिस्कॉम), जोधपुर
7.	श्री कृष्ण कुमार नटानी, अधीक्षण अभियन्ता नगर निगम, जोधपुर
8.	श्री अतुल बल रत्नू, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
9.	श्री नवरतन लाल गहलोत, अति0 पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
10.	श्री रमेश मेहता, सहायक अभियन्ता–नगर खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
11.	श्री नरेन्द्रसिंह राठौड, प्रबन्धक यातायात, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
12.	श्री नरपतसिंह शेखावत, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13.	श्री ज्ञानेश्वर व्यास, निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14.	श्री भॅवरलाल सुथार, अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15.	श्री कन्हैयालाल चौहान, अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16.	श्री हिम्मतसिंह गहलोत, अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17.	श्री गौरीशंकर गांधी, अधिशाषी अभियन्ता–विद्युत, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18.	श्री भॅवरलाल चौधरी, अधिशाषी अभियन्ता–विद्युत, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
19.	श्री राकेश परिहार, अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
20.	श्री रमेश जोशी, अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12.	डॉ. ललित कुमार मतनानी, सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13.	श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर